पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966

(1966 का अधिनियम संख्यांक 33)

[2 दिसम्बर, 1966]

संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कतिपय अधिकार बल-सदस्यों को जिन पर लोक-व्यवस्था बनाए रखने का भार है, लागू होने के सम्बन्ध में इस प्रकार निर्बन्धित करने के लिए कि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके, उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) यह अधिनियम पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा, जिसे शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) संघ राज्यक्षेत्र[2] में, केन्द्रीय सरकार, तथा

(ख) राज्य[3] में, उस राज्य की सरकार,

इस निमित्त नियत करे :

परन्तु विभिन्न संघ राज्यक्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पुलिस बल सदस्य" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या भर्ती किया गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ख) "पुलिस बल" के अन्तर्गत कोई ऐसा बल भी है जिस पर लोक-व्यवस्था बनाए रखने का भार है ;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

3. संगम बनाने के अधिकार, वाक् स्वातंत्र्य, आदि के विषय में निर्बन्धन—(1) कोई पुलिस बल सदस्य, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी की अभिव्यक्त मंजूरी के बिना,—

(क) किसी व्यवसाय संघ, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगम अथवा किसी वर्ग के व्यवसाय संघ, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगम का सदस्य नहीं होगा और न उससे किसी प्रकार का संबंध रखेगा ;

(ख) किसी अन्य ऐसी सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन का, जिसे उस बल के, जिसका वह सदस्य हो, भाग के रूप में मान्यताप्राप्त न या जो विशुद्धत: सामाजिक, आमोद-प्रमोद संबंधी या धार्मिक प्रकार का न हो, सदस्य नहीं होगा और न उससे किसी प्रकार का संबंध रखेगा ;

(ग) उस दशा के सिवाय जब ऐसा संपर्क या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन में हो या विशुद्धत: साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकार का हो या किसी विहित प्रकृति का हो, न प्रेस से कोई संपर्क करेगा और न किसी पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज का प्रकाशन करेगा या कराएगा ।

स्पष्टीकरण—यदि प्रश्न उठे कि अमुक सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन इस उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन विशुद्धत: सामाजिक, आमोद-प्रमोद सम्बन्धी या धार्मिक प्रकार का है या नहीं तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

---

[1] 3 दिसम्बर, 1966 से संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में,—देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1848, तारीख 3-12-1966, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3(i), पृ० 899.

[2] 1-8-1967 से यह अधिनियम संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चण्डीगढ, दादरा और नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर, पांडिचेरी और त्रिपुरा पर प्रवृत्त हुआ—देखिए अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1122, तारीख 20-7-1967, भारत का राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3(i), पृ० 1224.

[3] 4-9-1967 से पंजाब राज्य में प्रवृत्त होगा—देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 67-सी० ए० 33/66/एस० 1/67, तारीख 2-9-1967, भारत का राजपत्र, असाधारण, पृ० 371.

(2) कोई पुलिस बल सदस्य व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा राजनीतिक प्रयोजनों या अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, संगठित किसी अधिवेशन में न भाग लेगा और न भाषण करेगा और न इस प्रकार के किसी प्रदर्शन में भाग लेगा ।

4. शास्ति—जो व्यक्ति धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह किसी अन्य ऐसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

5. अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार अनुसूची को, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उसमें कोई अन्य ऐसी अधिनियमिति सम्मिलित करके जिसका सम्बन्ध किसी ऐसे बल से हो जिस पर लोक-व्यवस्था बनाए रखने का भार हो या उसमें से ऐसी अधिनियमिति का लोप करके जो उसमें पहले से विनिर्दिष्ट हो, संशोधित कर सकेगी और अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिनियमति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, यथास्थिति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या उसमें से लुप्त कर दी गई है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

6. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

[1][(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

अनुसूची

(धारा 2 और 5 देखिए)

1. [2][तमिलनाडु जिला पुलिस अधिनियम, 1859 (1859 का 24)] ।

2. आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) जिला पुलिस अधिनियम, 1859 (1859 का 24) ।

3. पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5)

4. कलकत्ता पुलिस पुलिस ऐक्ट, 1866 (1866 का बंगाल अधिनियम 2) ।

5. कलकत्ता सुबर्बन ऐक्ट, 1866 (1866 का बंगाल अधिनियम 4) ।

6. बंगाल पुलिस ऐक्ट, 1869 (1869 का बंगाल अधिनियम 7) ।

7. पुलिस अधिनियम, 1888 (1888 का 3) [2](1888 का तमिलनाडु राज्य अधिनियम 3) ।

8. मद्रास सिटी पुलिस ऐक्ट, 1888 (1888 का मद्रास अधिनियम 3) ।

9. बंगाल सेना पुलिस अधिनियम, 1892 (1892 का 5) ।

10. आंध्र प्रदेश (तेलंगाना एरिया) डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऐक्ट, 1329 फसली (1329 फसली का 10) ।

11. ईस्टर्न फ्रन्टीयर रायफल्स (वेस्ट बंगाल बटालियन) ऐक्ट, 1920 (1920 का बंगाल अधिनियम 2) ।

12. पुलिस ऐक्ट, 1983 (1927 ई०) [3][1983] का जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2) ।

13. हैदराबाद सिटी पुलिस ऐक्ट, 1348 फसली (1348 फसली का 9) ।

14. आसाम राइफल्स अधिनियम, 1941 (1941 का 5) ।

15. उड़ीसा मिलिटरी पुलिस ऐक्ट, 1946 (1946 का उड़ीसा अधिनियम 7) ।

16. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) ।

17. 1948 ई० का संयुक्त प्रान्त का प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टैबुलरी ऐक्ट (1948 का सं० प्रा० अधिनियम 40) ।

---

[1] 1986 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (15-5-1986 से) प्रतिस्थापित ।
[2] मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) (संघ के विषयों पर विधि अनुकूलन) आदेश, 1970 द्वारा (14-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1720, तारीख 6-11-1967, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(i), पृ० 1870 द्वारा अंत:स्थापित ।

18. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम, 1949 (1949 का 66)।

19. राजस्थान सशस्त्र सिपाही दल अधिनियम, 1950 (1950 का राजस्थान अधिनियम 12)।

20. बाम्बे पुलिस ऐक्ट, 1951 (1951 का मुम्बई अधिनियम 22)।

21. बाम्बे स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स ऐक्ट, 1951 (1951 का मुम्बई अधिनियम 38)।

22. केरला पुलिस ऐक्ट, 1960 (1960 का केरला अधिनियम 5)।

23. मैसूर पुलिस ऐक्ट, 1963 (1964 का मैसूर अधिनियम 4)।

24. नागालैंड आर्मड पुलिस ऐक्ट, 1966 (1966 का नागालैंड अधिनियम 6)।